उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ नैनीताल

उपस्थितः माननीय कैप्टन आलोक शेखर तिवारी

.............सदस्य (प्रशासनिक)

याचिका संख्या 21/एन0बी0/एस0बी0/2024

दिनेश कुमार कान्स0 1013 ना0पु0, आयु 42 वर्ष, पुत्र श्री पंच देव, स्थायी निवासी एन–171, फेस–3, शिवालिक नगर, बी.एच.ई.एल. रानीपुर, थाना रानीपुर, तहसील हरिद्वार, जिला–हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

....................याची

बनाम्

1. उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखंड शासन सचिवालय, देहरादून।
2. पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र, नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर)।

.... विपक्षीगण

उपस्थितिः श्री नदीमुद्दीन, विद्वान अधिवक्ता–याचीकर्ता ।
श्री किशोर कुमार, विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी–विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांकः मई 28, 2025

प्रस्तुत वाद में याची द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

"1. आलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 15.03.2022 (निर्देश याचिका का संलग्नक–1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 24.07.

2023 (निर्देश याचिका का संलग्नक–2) को अपास्त (quash) करें और अवैध तथा शून्य घोषित कर विपक्षीगण को निर्देशित करें कि वह याची को दिये गये दण्ड को उसकी चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से विलुप्त करें,

2. याची को समस्त परिणामिक सेवालाभ अवमुक्त करते हुये अनुमन्य अन्य सेवालाभ प्रदान करें,

3. अन्य उपचार जो मामले की परिस्थितियों के अनुरूप माननीय अधिकरण उचित समझे,

4. याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।"

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची 2002 से पुलिस विभाग में कान्सटेबिल ना0पु0 के पद पर कार्यरत् है। वर्तमान में याची जिला चम्पावत में थाना टनकपुर में तैनात है। वह लोक सेवक है। याची का पूर्व सेवा रिकार्ड साफ है और 2002 से 22 वर्षों से पुलिस विभाग की सेवा में है। उसे लगातार आलोच्य आदेश के वर्ष सहित पिछले वर्षों में अति उत्तम/उत्कृष्ट वार्षिक प्रविष्टि दी गयी है। उसे सदैव कर्मठता व लगन से अपने दायित्वों का पालन किया है। वर्ष 2021 में जब याची जनपद ऊधमसिंह नगर में तैनात था तो डॉ0 प्रेम सिंह राणा, माननीय विधायक, नानकमत्ता, ऊधमसिंह नगर के तथाकथित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 07.06.2021 की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें याची सहित विभिन्न पुलिस कर्मियों की

सूची स्थानान्तरण हेतु दी गयी थी। दिनांक 22.07.2021 को उत्तरदाता संख्या–3 द्वारा डॉ0 प्रेम सिंह राणा, माननीय विधायक, नानकमत्ता, ऊधमसिंह नगर के तथाकथित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 07.06.2021 के कम में पुलिस कर्मियों द्वारा जन प्रतिनिधि से स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सिफारिश कराकर कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करने वाले कर्मियों के विरूद्ध जॉच कर आख्या उपलब्ध कराने को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, नगर, रूद्रपुर को आदेशित किया। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, नगर, रूद्रपुर ने अपनी जॉच आख्या जॉच–एसटीए–17(18)/2021 दि0 25.08.2011 में बिना स्वतन्त्र साक्ष्यों तथा याची के पक्ष को विचार में लिये बिना किसी सम्बद्ध कारण को उल्लिखित किये, बिना किसी वैध आधार के याची सहित मा0 विधायक के तथाकथित पत्र में दी गयी सूची में शामिल सभी कार्मिकों के दोषी होने का निष्कर्ष दे दिया। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, नगर, रूद्रपुर की उक्त जांच आख्या को आधार बनाते हुये बिना कोई कारण उल्लिखित किये इसके निष्कर्षो के भी विपरीत जाकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनताश शिथिलता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक कार्य करने का आरोप लगाते हुये विपक्षी सं0–3 ने कारण बताओ नोटिस संख्याः द–88/2021 दिनांक 20.09.2021 याची की वर्ष 2021 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का उल्लेख करते हुये दिया।

उक्त नोटिस का याची द्वारा उत्तर प्रेषित करते हुये उस पर लगाये गये आरोपों के गलत व निराधार होने को स्पष्ट करते हुये नोटिस निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। विपक्षी सं0–3 ने याची के स्पष्टीकरण तथा उसमें दिये गये तर्कों को न मानने का कोई स्पष्ट आधार दिये बगैर ही वर्ष 2021 में चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित करने का आदेश द–88/2021 दिनांक 15.03.2022 पारित कर दिया। याची ने उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं0–2 के समक्ष अपील प्रस्तुत की। विपक्षी सं0–2 द्वारा अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अवैध रूप से याची द्वारा की गयी अपील को पत्रांक सीओके–अपील–38/2022 दिनांक 24 जुलाई, 2023 से निरस्त कर दिया गया। उक्त अपील आदेश याची को 08.09.2023 को प्राप्त कराया गया। अतः उक्त याचिका मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण की खण्डपीठ नैनीताल के समक्ष दाखिल किया गया है।

3. प्रतिवादी संख्या–1, 2 एवं 3 की ओर से श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा लिखित विवेचन–पत्र दाखिल किया गया, जो इस प्रकार है:–

3.1 वर्ष 2021 में, जब याची कान्स0 1013 ना0पु0 दिनेश कुमार, जनपद ऊधमसिंह नगर में नियुक्त था, तो पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ

लोक सेवा अधिकरण उत्तराखण्ड खण्डपीठ-नैनीताल

परिक्षेत्र, नैनीताल के पत्र संख्याः सीओके–62/2021 दिनांक 24.06.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ0 प्रेम सिंह राणा, माननीय विधायक, नानकमत्ता, ऊधमसिंह नगर के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 07.06.2021 के अवलोकन से पाया कि मा0 विधायक जी द्वारा इनका स्थानान्तरण जनपद के अन्यत्र थाने में करने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण की जॉच के दौरान पाया गया कि इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से माननीय विधायक, नानकमत्ता से अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्पर्क किया गया, जिस कारण उक्त अर्द्धशासकीय पत्र में इनका नाम उल्लिखित है, जो जनप्रतिनिधियों से स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सिफारिश कराया जाना कदाचित कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है, जिसके लिये प्रकरण में इनको राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक दबाव बनाकर स्थानान्तरण हेतु सिफारिश करवाने का दोषी पाया गया है। इस प्रकार पुलिस जैसे अनुशासित बल में नियुक्त रहते हुए इनका यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता, शिथिलता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में कान्स0 1013 ना0पु0 दिनेश कुमार को प्रतिवादी संख्या–03 के कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.09.2021 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये नोटिस प्राप्ति के 15

दिवस के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में याची द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांकः 13.10.2021 को प्रतिवादी संख्या–03 के कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। उक्त के सम्बन्ध में याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, तथ्यों एवं प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, नगर, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा सम्पादित जॉच आख्या दिनांक 25. 08.2021 के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आये कि पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल के पत्र संख्याः सीओके–62/2021 दिनांक 24.06.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ0 प्रेम सिंह राणा, माननीय विधायक, नानकमत्ता, ऊधमसिंह नगर के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 07.06.2021 के अवलोकन से पाया कि मा0 विधायक जी द्वारा इनका स्थानान्तरण जनपद के अन्यत्र थाने में करने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण की जॉच के दौरान पाया गया कि याची द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से माननीय विधायक, नानकमत्ता से अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्पर्क किया गया, जिस कारण उक्त अर्द्धशासकीय पत्र में इनका नाम उल्लिखित है, जो जनप्रतिनिधियों से स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सिफारिश कराया जाना कदाचित कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है, जिसके लिये प्रकरण में इनको राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 में दिये गये प्राविधानों के

अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक दबाव बनाकर स्थानान्तरण हेतु सिफारिश करवाने का दोषी पाया गया है। प्रकरण की जॉच में उक्त कर्मचारी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से माननीय विधायक, नानकमत्ता से अपने स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में सम्पर्क किया जाना पाया गया, जिस कारण उक्त अर्द्धशासकीय पत्र में इनका नाम उल्लिखित है। प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये याची को अपने बचाव व सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, जो पूर्णतः विधिसम्मत एवं नियमानुकूल है। आरोपी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कोई बल नहीं पाया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर सम्यक् विचारोपरान्त स्पष्टीकरण अस्वीकार किया गया और उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा–23 (2) (ख) एवं उत्तराखण्ड ख्उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14 (2) की विभागीय कार्यवाही में निहित प्राविधानों के अनुसार परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है, जो विधि एवं न्यायसंगत है।

3.2 याची द्वारा दण्डादेश संख्या : द–88/2021 दिनांकः 15.03.2022 के विरूद्ध पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूॅ परिक्षेत्र, नैनीताल के समक्ष अपील योजित की गयी, जिस पर पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूॅ परिक्षेत्र,

नैनीताल द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेते हुये अपने आदेश संख्याः सीओके–अपील–38/2022 दिनांक 24.07.2023 के द्वाराा अपील को बलहीन पाते हुये अस्वीकृत कर दिया गया, जो पूर्णतः विधिसम्मत् एवं नियमानुकूल है। अतः मा० न्यायाधिकरण से प्रार्थना है, कि याचिकाकर्ता के द्वारा योजित की गयी वर्तमान याचिका असत्य एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, जिस कारण उक्त याचिका खारिज होने योग्य है।

4. याची की ओर से प्रतिउत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया जिसमें यह कहा गया है कि–

4.1. याची को श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र, नैनीताल के पत्र संख्याः सीओके–62/2021 दिनांक 24.06.2021 की कोई जानकारी नहीं है और न ही उक्त पत्र तथा डॉ0 प्रेम सिंह राणा, माननीय विधायक, नानकमत्ता, ऊधमसिंह नगर के तथाकथित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 07.06.2021 की कोई प्रति ही याची को कभी दी गयी है। यद्यपि वर्ष 2021 में जब याची जनपद ऊधमसिंह नगर में तैनात था तो डॉ0 प्रेम सिंह राणा, माननीय विधायक, नानकमत्ता, ऊधमसिंह नगर के तथाकथित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 07.06.2021 की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें याची सहित विभिन्न पुलिस कर्मियों की सूची दी गयी थी, इसमें न तो किसी कर्मचारी के

स्थानान्तरण की सिफारिश की गयी थी और न ही किसी कर्मचारी के उनसे सम्पर्क करने का कोई उल्लेख है। इस सूची में शपथकर्ता के नाम के आगे कोतवाली रूद्रपुर से सितारगंज दर्शाया गया है जबकि शपथकर्ता का स्थानान्तरण इस पत्र की तिथि से लगभग तीन माह पूर्व ही दि0 13.03.2021 के विपक्षी संख्या–03 के आदेश से सितारगंज किया जा चुका था और इस पत्र की दिनांक को वहां कार्यरत् था। ऐसी स्थिति में शपथकर्ता द्वारा किसी भी सिफारिश कराने की कोई सम्भावना भी नहीं हो सकती है। शपथकर्ता ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में न तो कभी सम्पर्क किया गया है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सिफारिश ही करायी गयी है।

4.2 श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, नगर, रूद्रपुर की जॉच आख्या से स्पष्ट है कि दण्डादेश तथा विपक्षी की ओर से प्रस्तुत विवेचन/प्रतिवाद–पत्र (Counter Affidavit) के अनुसार श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल के पत्र संख्याः सीओके–62/2021 दिनांक 24.06.2021 के द्वारा डॉ0 प्रेम सिंह राणा, माननीय विधायक, नानकमत्ता, ऊधमसिंह नगर के तथाकथित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 07.06.2021 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि, जबकि इससे दो दिन पूर्व दिनांक 22.06.2021 को ही इस पत्र के कम में पुलिस कर्मियों द्वारा जनप्रतिनिधि से स्थानान्तरण के सम्बन्ध

में सिफारिश कराकर कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करने वाले कर्मियों के विरूद्ध जॉच कर आख्या उपलब्ध कराने को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, नगर, रूद्रपुर को आदेशित किया गया, दर्शाया गया है। इस जॉच की याची को उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या की बिना संलग्नकों की प्रति से स्पष्ट प्रमाणित है कि इसमें याची के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसमें उल्लिखित डॉ0 प्रेम सिंह राणा, माननीय विधायक के कथन में भी स्पष्ट किया है कि "पुलिस के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में न तो कोई पुलिस कर्मचारी मेरे पास आया और न ही मुझे फोन किया गया।"

4.3. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, नगर, रूद्रपुर की उक्त जॉच आख्या को आधार बनाते हुये बिना कोई कारण उल्लिखित किये इसके निष्कर्षों के भी विपरीत जाकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता, शिथिलता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक कार्य करने का आरोप लगाते हुये विपक्षी संख्या–03 ने कारण बताओ नोटिस संख्याः द–88/2021 दिनांक 20.09.2021 याची की वर्ष 2021 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का उल्लेख करते हुये दिया। विपक्षी संख्या–02 द्वारा अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अवैध रूप से याची द्वारा की गयी अपील को अपील आदेश पत्रांकः सीओके–38/2022 दिनांक 24 जुलाई, 2023 से

निरस्त कर दिया गया। उक्त अपील आदेश याची को दिनांक 19.08.2023 को प्राप्त कराया गया। आलोच्य आदेश का प्रमुख तथ्यात्मक बिन्दु "अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक दबाव बनाकर स्थानान्तरण हेतु सिफारिश करना" दर्शाया गया है जबकि इसमें तथ्यों को घुमा–फिराकर अपूर्ण व भ्रामक रूप में लिखित किया गया है। अतः याची द्वारा योजित उक्त याचिका मा0 लोक सेवा अधिकरण उत्तराखण्ड, देहरादून की खण्डपीठ नैनीताल में दायर की गयी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिकरण का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया कि प्रश्नगत् प्रकरण में जिस घटना को अनुशासनिक कार्यवाही का आधार बनाया गया है, उसमें कुल 09 पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध समान आरोप लगाये गये थे, जिनमें से उप–निरीक्षक सुरेन्द्र प्रताप सिंह बिष्ट एवं सी0पी0 1016 कॉन्सटेबुल दयाल गिरि को भी समान दण्ड दिया गया था एवं उनकी याचिकाओं को अधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकार करते हुये उक्त दोनों याचियों को दोषमुक्त किया जा चुका है। वर्तमान याचिका भी पूर्णतयाः उक्त दोनों प्रकरणों के समान ही है। इस प्रकरण में उत्तरदाता पक्ष के पास कोई

भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं मात्र काल्पनिक आधार पर याची को दोषी मानते हुये दण्ड दिया गया है। आश्चर्य का विषय यह है कि माननीय विधायक के जिस तथाकथित स्थानान्तरण अनुशंसा पत्र को आधार बनाकर याची के विरूद्ध दण्डादेश पारित किया गया है उस अनुशंसित स्थान पर याची तीन माह पूर्व से ही कार्यरत् चला आ रहा था। अतः स्पष्ट है कि दण्डाधिकारी उत्तरदाता द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय न लेते हुये मात्र कल्पना के आधार पर ही याची को दोषी मान लिया गया था। यहॉ पर यह उल्लिखित किया जाना भी महत्वपूर्ण है कि जिन दण्डाधिकारी द्वारा याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उनका स्थानान्तरण होने के उपरान्त नये दण्डाधिकारी द्वारा दण्डादेश पारित किया गया जिन्होंने प्रकरण की गहराई में गये बिना ही पक्षपातपूर्ण निर्णय ले लिया। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में याचिका के साथ प्रस्तुत संलग्नक–7 पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया, जो कि दिनांक 13.03.2021 को उत्तरदाता संख्या–03 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश है। उक्त आदेश में याची कॉन्स्टेबुल दिनेश कन्याल का स्थानान्तरण रूद्रपुर से चौकी सिडकुल सितारंगज को किया गया दर्शाया है। इसके विपरीत माननीय विधायक के प्रश्नगत् अनुशंसा पत्र को दिनांक 07.06.2021 को लिखा

गया है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत् प्रकरण में याची द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनिक अवहेलना किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

7. विद्वान ए0पी0ओ0 द्वारा अपनी बहस में तथ्यों का विवरण देते हुये कहा गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही निर्धारित प्रकिया के अनुसार ही की गयी है एवं प्रस्तुत याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

8. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याची का स्थानान्तरण थाना रूद्रपुर से सिडकुल सितारगंज किये जाने के तीन माह उपरान्त माननीय विधायक द्वारा तथाकथित अनुशंसा पत्र लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इसी प्रकरण में दण्डित किये गये कतिपय पुलिस कर्मियों को अधिकरण द्वारा पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत् आलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 15.03.2022 एवं अपील निरस्तीकरण दिनांक 24.07.2023 माननीय विधायक के प्रश्नगत् अनुशंसा पत्र दिनांक 07.06.2021 द्वारा उत्पन्न भ्रमपूर्ण स्थिति के कारण निर्गत किये गये थे, जो कि विधिक रूप से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है एवं तद्नुसार उन्हे अपास्त किया जाना ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

आदेश

तदनुसार, याची की याचिका स्वीकार किया जाकर, तदनुक्रम में आलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 15.03.2022 (निर्देश याचिका का संलग्नक–1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 24.07.2023 (निर्देश याचिका का संलग्नक–2) अपास्त (quash) किये जाते हैं। याची को दिये गये आलोच्य दण्ड को याची की चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से, इस निर्णय की प्रमाणित प्रति उत्तरदाता संख्या–03 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 30 दिवस के भीतर विलुप्त किया जायें एवं समस्त परिणामिक सेवालाभ अवमुक्त करते हुये तदुपरान्त अनुमन्य अन्य सेवालाभ प्रदान किये जायें। पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे।

Sd/-

(कैप्टन आलोक शेखर तिवारी)
सदस्य (प्रशासनिक)

दिनांक: मई 28, 2025
नैनीताल।

बी0के0

Certified copy issued under the Authority of the Registrar

28/05/2025